



Neutral Citation No. - 2026:AHC:16557-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 2425 वर्ष 2004

ध्यान सिंह और अन्य

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : मनीष तिवारी

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 46

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय

1. दिनांक 02.02.2023 की कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार, दोनों अपीलकर्ताओं, ध्यान सिंह और फूल सिंह, का निधन हो चुका है।
2. तदनुसार, उपशमित होने के कारण अपील को निरस्त किया जाता है।
3. यदि अवर न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हो गया है, तो उसे इस आदेश की प्रति सहित संबंधित न्यायालय को लौटा दिया जाए।

(जय कृष्ण उपाध्याय, न्यायमूर्ति) (सिद्धार्थ, न्यायमूर्ति)

22 जनवरी, 2026

एकेटी

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"